संख्या-11 /2015/5179/9-1-2015-5बजट/2014

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फैजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 नवम्बर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अयोध्या जनपद फैजाबाद के श्रावण झूला मेला के अवशेष देयकों के भुगतान एवं परिक्रमा (चौदह कोसी/पंचकोसी) /कार्तिक पूर्णिमा मेला 2015 हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-340/मेला लि0/बजट आवंटन/2015-16, दिनांक 12-10-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अयोध्या जनपद फैजाबाद के श्रावण झूला मेला के अवशेष देयकों के भुगतान एवं परिक्रमा (चौदह कोसी/पंचकोसी)/कार्तिक पूर्णिमा मेला 2015 में कराये जाने वाले कार्यो पर आने वाले व्यय के भुगतान हेतु प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 48.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-8/ 2015/1970/9-1-2015-5बजट/2014, दिनांक 04.06.15 द्वारा प्रदान की गयी थी।

3. उक्त के क्रम में अयोध्या जनपद फैजाबाद के श्रावण झूला मेला के अवशेष देयकों के भुगतान एवं परिक्रमा (चौदह कोसी/पंचकोसी)/कार्तिक पूर्णिमा मेला 2015 हेतु कुल धनराशि रू0-51,58,524/-(रू0 इक्यावन लाख अठठावन हजार पॉच सौ चौबीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में उक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त धनराशि जिन मदों के लिये स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। किसी भी मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- विगत वर्षो की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन कर लिया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

7- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनायें-05-स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेले एंव प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

8- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-2891/दस-15, दिनांक 09 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-11 /2015/5179(1)/9-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, फैजाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
5- सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://Shasanadesh.up.nic.in